

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इन्वियशियल्स जज रैफरेंस396 /12 सरकार तह0 वैर बनाम सुक्का वगैरह</p>
<p>22.2.2018</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण 2/1 खूबीराम एवं 2/2 केशवदेव के संदर्भ में जारी किये गये नोटिस क्रमांक 380/10.8.2016 तारीख पेशी 21.9.2016 का अवलोकन किया गया। खूबीराम व केशव के नोटिस उनके भाई पूरन ने प्राप्त किये है जो स्वयं इस प्रकरण में पक्षकार संख्या 2/3 की हैसियत से अंकित है। बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये है। अन्य अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित वकील श्री विजयसिंह झारौटिया को आवाजे दिलवायी गई किन्तु वे उपस्थित नहीं आये। पुनः 11:00 बजे से 2:00 बजे के बीच में वकील अप्रार्थी को कई बार बार-बार आवाजे दिलवायी गई किन्तु वे उपस्थित नहीं आये। उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया। राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। रैफरेंस स्वीकार किया जाता है। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अधीन रैफरेंस प्रकरण पत्रावली वास्ते स्वीकृति माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवायी जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार वैर को प्रेषित की जाकर यह पत्रावली फैसलए वकील अपीलान्ट उपस्थित। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील मियाद बिन्दु को सुरक्षित रखते हुये दर्ज रजिस्टर की जावे। रैस्पोजेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय की तहत पत्रावली तलब की जावे। आयन्दा पत्रावली दिनांक ..... को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर</p>